

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपर है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 19/10/25

-: आदेश :-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अमनिया-557 व भूअनि 482207 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 202007 /नाम तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अमनिया-557 तहसील 202007 व जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 (1921) में खाता संख्या 411 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>अमनिया-557</u>	411	<u>अमरच-उ पिं 26 मा 0 लाई</u>	<u>अमरच-उ पिं 26 मा साली-</u>

उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, 202007

क्रमांक:- 424  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18/10/25

1. तहसीलदार 202007 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्राथी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठारीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द